

श्रीमेश कुमार शुभार शीष खनाण श्वरवंत अधिकाश्री भीनमाल

प्रकरण क्र० २२/२०१८

22.10.2018

अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के प्रतिनिधी उपस्थित।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने पत्रांक/5215 दिनांक 22.10.2018 द्वारा अवगत कराया कि आवेदन पत्र में चाली गई सूचना के संबंध में कार्यालय में आवेदित सूचना के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड की खोजबीन की गई परंतु उपलब्ध सूचना उपलब्ध नहीं पाई गई। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 863984 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2018 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल से 2 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल बताया कि आवेदित सूचना के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड की खोजबीन की गई परंतु उपलब्ध सूचना उपलब्ध नहीं पाई गई। हम लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से सहमत है क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालयमें उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

३९

(बी.एल.कोठारी)

प्रथम अपीलाय अधिकारी

(जिला कलेक्टर)जालोर

जालोर